

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1981/भाग 4, 1902

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1981/MAGHA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अभ्यंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1981

का. आ. 50 (अ) .—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
मरफार एतद्द्वारा 25 जनवरी, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है,
जिससे उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही
प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और

धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उप-बन्ध, उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“ज़िला सम्बलपुर के
तहसील बारगढ़ में
राजम्ब ग्राम तोड़ा।”

[संख्या एस-38013/1/81-एच. आई.]

अनूप पूनन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 1981

S.O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 25th January, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force), and Chapters V and VI (except Sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely :—

“Revenue village Tora in
Tehsil Baragarh of
District Sambalpur.”

[No. S-38013/1/81-HI]

A. POONEN, Dy. Secy.